उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या-बी-1-3505/दस-2008-40/2002
लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-बी-1-1216/दस-2002-40/2002, दिनांक 31 मार्च, 2002 के संलग्नक के अनुसार कतिपय संस्थाओं को उनके द्वारा भविष्य निर्वाह निधि राशियाँ राज्य सरकार के लोक लेखे में अनुरक्षित भविष्य निधि खातों के लेन-देन हेतु उप शीर्षक आवंटित किये गये थे।

उक्त शासनादेश के संलग्नक में कुछ संस्थाओं के नाम शामिल होने से रह गये थे। अतः श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 के संलग्नक में अंकित उपशीर्षों की सूची में निम्न विवरण के अनुसार निम्नवत् उपशीर्ष " 37 " जोड़े जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक :-

8009 - राज्य भविष्य निधि
60 - अन्य भविष्य निधियाँ
103 - अन्य विविध भविष्य निधियाँ
37 - समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि की लेन-देन।

उपरिअंकित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(डा०बी०एम०जोशी)
सचिव वित्त।

संख्या बी-1-3505(1)/दस-2008-40/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (उ० प्र० एकक), योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे लोक लेखा के उपरोक्त लेखाशीर्ष में तदनुसार नया उपशीर्ष जुड़वाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महेश यादव)
बजट अधिकारी।